


FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर..... मुकाम..... (S.D.O) बायत
..... रंजित सिंह..... बनाम..... लीलाराम वगैरा.....
किस्म मुकदमा..... रा० झावेदा 111, 128 RLR नं. 227/2020 सन्..... 2020.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
24/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री..... लीलाराम साहू..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... 111, 128 RLR Act..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रैस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/9/2020 को पेश हो।	
14/09/2020	पत्रावली आन पेश हुई। वकूलाय अधिकारण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी शिपार कायों में व्यस्त हैं। निराल इलतवा होकर दिनांक 03/11/2020 का पेश हों।	 सहायक कलेक्टर (S.D.O) बायत जिला - बाड़मेर
03/11/2020	पत्रावली आन पेश हुई। वकूलाय अधिकारण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी शिपार कायों में व्यस्त हैं। निराल इलतवा होकर दिनांक 10/02/21 का पेश हों।	
10/02/2021	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय अधिकारण उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इलतवा हाका दिनांक 24/02/2021 पेश हों।	

24/02/2021

प्राथमिक वहील उपलब्धत / विद्यार्थीगण संख्या-
1 से 13 व 15 से 26 ^{शामिल} तथा 14 व 27 से 37 के
नोटिस समय तामिल प्राप्त जिनसे शामिल पत्रावली
विद्यार्थीगण / सीमान पौठामीन अधिकारी का पद
रिक्त होने से मिशाल इल्लवा टोडर सागाणी दिनांक
26/04/2021 को फेर टा/७

26/04/2021

पत्रावली पेश हुड वकुलाय परिकन उपस्थित
पौठामीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इल्लवा हाकर दिनांक 24/06/2021
को फेर टा/७

24/06/2021

पत्रावली पेश हुड वकुलाय परिकन उपस्थित
पौठामीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इल्लवा हाकर दिनांक 11/08/2021
को फेर टा/७

11/08/2021

पत्रावली पेश हुड वकुलाय परिकन उपस्थित
पौठामीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इल्लवा हाकर दिनांक 19/11/2021
को फेर टा/७

19/11/2021

प्राथमिक वहील उपलब्धत / सीमान पौठामीन
अधिकारी प्रशासन गणको के संग अभियान-2021
के लिये से वल्लय होने से मिशाल इल्लवा टोडर
सागाणी दिनांक 04/01/2022 को फेर टा/७

६

16/1/2022

19/01/2022

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

14/01/2022

अधी वहील उपाधिकत। विजयी गण
संख्या - 1 से 13 व 15 से 26 वाक्युड तामिल
नवुडपाधिकत। बीच विजयी गणों के नोटिस प्रव
में अरुम तामिल प्राप्त हुए। अधी वहील विजयी
संख्या - 14 व 27 से 37 के नोटिस मय रजिस्ट्री
ध्वजा पुनः फेरा इहे। फेरा होन पर जारी
होइए पतावली दिनांक - 19/04/2022 की फेरा हो

सहायक कलेक्टर (SDO)
वायतु
जिला - वाडमेर

19/04/2022

अधी वहील उपाधिकत। अधी वहील
वहील द्वारा विजयी संख्या - 14 व 27 से 37
के नोटिस मय रजिस्ट्री ध्वजा फेरा विज
गण। जो जारी होइए पतावली दिनांक -
14/06/2022 की फेरा हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
वायतु
जिला - वाडमेर

14/06/2022

अधी वहील उपाधिकत। विजयी गण
संख्या - 14 व 27 से 37 के नोटिस प्रव में
जारीये रजिस्ट्रड एडी मिजवाये गणें जिनकी
करीब 1 माह से अधिउ डा समग्र ध्वजावित
हो चुका हो 1 माह गुजरने के उपरान्त
भी विजयी संख्या - 14 व 27 से 37 उपम
या उनही मोट से कोई अधिवक्ता उपाधिकत
नही हुआ लिहाजा विजयी संख्या - 14 व
27 से 37 के विरुद्ध एडवोकेट द्वारा गोरामल
में लाई जाली है। अधी के अधिवक्ता की
एडपसिथ वडल खुनी गई, अधी के अधिवक्ता
द्वारा वतमा की अधी व विजयी गणों के
घातेदारी खेत सेहा लेह माये हुए हो खेतों के
मध्य जो पुरानी माठे व डो गणे हुए थे
जो वर्तमान में अधियों की वजह से विवाद

सहायक कलेक्टर (SDO)
वायतु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आगे है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं है या रहा है खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षी-जालों के मध्य हमेशा तनाव बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नैयामवन्ती इरवानी जावशमद हीरसलिर प्रार्थी का नैयामवन्ती आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जिंदा की इमिशन नियुक्त किया जाकर फोटो लिया जाता है कि काय स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू मालिक निरीक्षण से प्रार्थी के खेतों की सीमाओं की परकी नैयामवन्ती को दे पर इमिशन क्लक जमा डरा डर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली है, पत्रावली फेसल शुमार होकर डर नम्बर से डर है, दाखिल इच्छा है।

सहायक कलेक्टर SDC
वायतु
जिला -

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 973

दिनांक : 14/6/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. रूघसिंह पुत्र भोपसिंह,
जाति राजपुत, निवासी कसुम्बला भाटियान,
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान,
तहसील गिडा (बाडमेर)

1. लालाराम पुत्र चौखाराम वगैरा 37,
जाति जाट, निवासी कसुम्बला भाटियान,
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान,
तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 227 / 2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - कसुम्बला भाटियान, पटवार मण्डल - कसुम्बला भाटियान, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 171 रकबा 125.04 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला-बाडमेर
दिनांक 14/6/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 974-78

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रूघसिंह पुत्र भोपसिंह,
4. विप्रार्थी श्री लालाराम पुत्र चौखाराम वगैरा 37,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर